खास-खबरें

ई रिक्शा वाहन रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

मंदसौर। पार्वती- कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत शिवना बैराज परियोजना का निर्माण होने जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार ने जिला पंचायत से ई-रिक्शा वाहन रैली को फीता काटकर रवाना किया । ई-रिक्शा वाहन रैली जिला पंचायत मंदसौर से पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। पशुपतिनाथ मंदिर में रैली का समापन हुआ। ई-रिक्शा वाहन रैली में 50 ई रिक्शा शामिल हुए।

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत कलश यात्रा संपन्न

विदिशा (निप्र)। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत कुरवाई तहसील के ग्राम नगवासा, गिटोला, सांकरोद तथा ककरूआ में कलश यात्रा, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं जनसंपर्क कर परियोजना से होने वाले लाभ से कृषकों व ग्रामीण महिलाओं को अवगत कराया गया। इन ग्रामों में कलश यात्राएं भी निकाली गईं। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत जिले की कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के 83 गांव लाभान्वित होंगे जिसमें कुरवाई तहसील के 77 व बासौदा तहसील के 6 गांव शामिल है। इस परियोजना संबंधी किसान सम्मेलन कार्यक्रम 25 दिसम्बर को कुरवाई में होगा।

अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई

देवास। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब संग्रहण, विक्रय, परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने शुक्रवार को बागली वृत में दबिश देकर कार्यवाही की सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि बुधवार को आबकारी दल द्वारा वृत्त बागली अ, में संयुक्त दबिश की कार्यवाही की गई। ग्राम मालजीपुरा, आरिया में कार्यवाही की गई, डेरी, बोरी एवम् कामठ के जंगल में सर्चिंग की गई, अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों को चलित भट्टियों को नष्ट किया गया। कार्यवाही में लगभग 2000 किलो ग्राम महुआ लाहन, एवम् 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई, जप्त शुदा महुआ लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही के समय आरोपी घने जंगल एवम् पहाड़ों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश आबकारी अधीनियम की दंडनीय धाराओं के अंतर्गत 07 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिये गए।

छोटी सी सावधानी से बड़े साइबर क्राइम से बचा जा सकता है : एसपी

सीहोर।

सीहोर के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शहर के शासकीय-अशासकीय स्कूलों के 2500 से अधिक छात्र-छात्राएं तथा शिक्षक शामिल हुए। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार तथा उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यशाला में एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में साइबर अपराध बढ़ रहे है। इन अपराधों से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी हमें कई प्रकार से अपने जाल में फसाने का प्रयास करते हैं। साइबर अपराधी किसानों को बीमा, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप एवं अन्य व्यक्तियों को उनके लाभ का लालच दिखाकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अपनी पहचान छिपाकर आपकी कोई ऐसी निजी जानकारी प्राप्त कर लेते है, जिससे वह आपकों ब्लेकमेल कर सकें। ऐसी ही घटनाएं आगे चलकर किसी बड़े अपराध को जन्म देती हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मोबाइल पर आने वाली किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक नही करना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी अंजान नंबर से विडियो कॉल, लिंक या कोई फाइल आती है तो उसे अटेंड नही करना चाहिए। इससे आपकी निजी एवं बैंक खाते की जानकारी किसी साइबर अपराधी के हाथ लग सकती है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अंजान नंबर के कॉल करके स्वयं को किसी बैंक या किसी प्रशासनिक पद का अधिकारी बताते हैं और आपकी निजी एवं गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी या मोबाइल ओटीपी मांगते है। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो निश्चित ही वह कोई साइबर अपराधी है।

हमें अपनी किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी नही देना चाहिए। एसपी श्री शुक्ला ने कहा कि साइबर अपराधों से बचने के लिए अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में सभी प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग्स चालू रखें ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी आंजन व्यक्ति को आसानी न मिल सके।

उन्होंने नशे के प्रति बच्चों को सजग करते हुए कहा कि नशा एक ऐसा जाल है जो हमारी असीमित क्षमताओं को कम कर देता है और हमारी उस महान प्रतिभा को नष्ट कर देता है जिसके द्वारा हम भविष्य में एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में साइबर अपराधों के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसका मुख्य कारण है, शराब पीकर गाड़ी चलाना तथा वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करना। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए ट्रेफिक नियमों का कढ़ाई से पालन करना चाहिए इसके साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट एवं 04 पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अवश्य लगाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस के चालान से बचने के लिए नही बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ट्रेफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि ट्रेफिक नियमों के उल्लघंन के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े अचंभित करने वाले है। इसलिए हमेंशा ट्रेफिक नियमों का पालन करना चाहिए। एसपी श्री शुक्ला ने सभी को ट्रेफिक नियमों का हमेशा पालन करने और हमेशा नशे से बचने की शपथ दिलाई।

कार्यशाला में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने कहा कि प्रत्येक काम में मोबाइल और इंटरनेट आज की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, हमें इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग अत्याधिक सावधानी के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्चुअल दुनिया के लोग अंजान होते हैं, इसलिए अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर न करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के समूह द्वारा रोप जंपिंग के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुती दी गई। कार्यशाला में एसडीएम तन्मय वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी संजय तोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

रायसेन।

मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 21 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, इस वर्ष भी 20 दिसंबर को विद्युत वितरण कंपनी जिला रायसेन के परिसर में ऊर्जा बचत एवं संरक्षण सोलर रूफटॉप के प्रचार प्रसार के लिये पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय पर पेंटिग (चित्रकला) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 07 नं. विभिन्न विधालयों के छात्र/छात्राओं नें प्रतियोगिता में अति उत्साहित होकर भाग लिया। पेंटिग (चित्रकला) प्रतियोगिता के दौरान विद्युत वितरण कंपनी जिला रायसेन के महाप्रबंधक प्रदीप सिंह चैहान ने ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण सोलर रूफटॉप का महत्व छात्र/छात्राओं को बताया कि पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिये सौर्य ऊर्जा लगवाने से घरों की बिजली बिल में कमी होती है, एवं ग्रीन ऊर्जा से प्रदुषण भी कम होता है। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरूस्कार (नगद राशि रू. 2000) श्री रोनक बघेल, ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, द्वितीय पुरूस्कार (नगद राषि रू. 1000) कु. हिमांशी नामदेव, शाईनिंग पब्लिक स्कूल रायसेन तथा दो तृतीय पुरूस्कार (नगद राषि रू. 500 प्रति) अस्मित पटेल, केन्द्रीय विधालय रायसेन एवं कु. कंचन विश्वकर्मा, ब्राईट केरियर पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल रायसेन को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तीन सांत्वना पुररूस्कार (नगद राशि रू. 200 प्रति) श्री रितेष, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पाटनदेव रायसेन, श्री प्रयांशु अहिरवार, शासकीय उच्चतर विधालय कलेक्ट्रेट कालोनी रायसेन एवं कु. दीपाली कुमरे, शासकीय आर्दश कन्या उच्चतर माध्यमिक विधालय रायसेन को प्राप्त हुआ।

नगरीय जनकल्याण शिविर संपन्न

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत विदिशा निकाय के वार्डो में शिविरो का आयोजन कर नागरिकों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान समय सीमा में कराया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय पीतलमील चौराहे पर संपन्न जनकल्याण शिविर को विदिशा विधायक मुकेश टण्डन ने संबोधित किया। इस अवसर पर शिविर को विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीती शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनो से समस्या मोहल्लें में ही हल हो रही है।

दस बीघा चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटा

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आह्वान तथा तद्नुसार कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के निर्देशो के पालन में शुक्रवार 20 दिसम्बर को कुरवाई अनुविभाग क्षेत्र की पठारी तहसील के ग्राम बरखेडा में एसडीएम मनोज प्रजापति की उपस्थिति में चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

शासकीय गौ-शाला से लगी इस दो हेक्टेयर (दस बीघा) शासकीय चरनोई भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीराबंदी कराकर ग्राम पंचायत बरखेडा पठारी के सुर्पुद किया गया। इस भूमि का बाजार मूल्य अनुमानित 20 लाख रू. है।

नपाध्यक्ष ने किया सीसी रोड निर्माण का निरीक्षण, दिए गुणवत्ता के निर्देश

सीहोर। वार्ड क्रमांक 14 सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर एवं नगर पालिका के पार्षद और अन्य अधिकारियों ने कार्य का निरीक्षण किया। शहर में अनेक विकास के कार्य चल रहे है। शहर के वार्ड क्रमांक 14 के फारेस्टे कालोनी क्षेत्र में करीब 10 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। मार्ग के निर्माण से लोगों को कच्चे मार्ग से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्री राठौर ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से

किसी तरह का समझौता न करने के लिए उन्होंने ठेकेदार को हिदायत दी और नियमित पानी का छिड़काव करने के लिए भी निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि वार्ड 14 के रहवासी कई वर्षों से इस क्षेत्र के प्रमुख मार्ग का जीर्णोद्धार करने की मांग की जा रही थी। कच्चा मार्ग के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कई वर्षों से सड़क का निर्माण कराने की मांग कर रहे थे, क्षेत्रवासियों की प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

निःशुल्क कैंसर परीक्षण एवं परामर्श शिविर आयोजित

गंजबासौदा। मानस भवन में कृष्णा कैंसर हॉस्पिटल भोपाल के द्वारा नागरिक सेवा समिति एवं व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कैंसर परिक्षण एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया कार्यक्रम में कृष्णा कैंसर हॉस्पिटल भोपाल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार कैंसर रोग विशेषज्ञ सहयोगी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी और इस कैंप के विशेष सहयोगी अभिषेक पोरवाल नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष कांति भाई शाह व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मनोज डागा मुख्य रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम को भगवान श्री राम दरबार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जलन कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया गया कैंसर से संबंधित 28 मरीजों को डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श दिया गया एवं उससे संबंधित बचाव के लिए बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी गई कार्यक्रम का संचालन नागरिक सेवा समिति के उपाध्यक्ष सुरेश तनवानी ने किया एवं आभार अभिषेक पोरवाल ने व्यक्त किया।

इंदौर में प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन नौ जनवरी से

जबलपुर।

प्लास्टपैक 2025, भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन, एक नए आयाम पर पहुंचने के लिए तैयार है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना है। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, पाइप, एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के साझा प्रयासों से आयोजित प्लास्टपैक 2025 के रोड शो के

लिए आज प्लास्त्पैक की टीम जबलपुर पहुँची। प्लास्टपैक 2025लाभ गंगा एक्जीबिशन सेंटर, इंदौर में 9 से 12 जनवरी, 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

सचिन बंसल - प्रेसिडेंट - इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, हितेश मेहता - चेयरमैन प्लास्ट पैक 2025 के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले प्लास्टपैक 2025 में देशभर के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईपीपीएफ की टीम देश भर के मुख्य शहरों में पहुँच रही है। इस विषय में जानकारी साझा करने एवं लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए प्लास्ट पैक फोरम की टीम 20 दिसंबर को जबलपुर पहुंची और मीडिया से मुलाकात की। इस दौरान प्लास्टपैक के चार दिवसीय आयोजनों की रूपरेखा को साझा किया गया। प्लास्टपैक की टीम ने जबलपुर और उसके आस-पास के शहरों के इंडस्ट्री से जुड़े कई गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की।

इंडियन प्लास्टपैक फोरम के मार्केटिंग प्रेसिडेंट श्री विशाल सोनी ने कहा , प्लास्टपैक 2025 प्लास्टिक उद्योग के लिए एक अनूठा मंच है। यह आयोजन इंडस्ट्री के नवीनतम रुझानों को प्रदर्शित करने के साथ उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाकर इंडस्ट्री के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने का अवसर भी प्रदान करेगा।

2.25 करोड रुपए की लागत से बनेंगे पंचायत भवन

गंजबासौदा। क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी की मांग पर मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधानसभा की 6 ग्राम पंचायतो में 37,50,000 प्रति ग्राम पंचायत के मान से दो करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि विधायक हरिसिंह रघुवंशी ने भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल से क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृत की मांग की थी। जिनमें से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर 6 ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

जिन ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनेंगे उनमें बासौदा विकासखंड के मैनवाड़ा, खेरोदा, सैरवासा, रबरयाई तथा ग्यारसपुर विकासखंड के बोरी रामपुर तथा पुरा गोसाई शामिल हैं।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल भूखण्ड/भवन क्रमांक 210 बी - सेक्टर मण्डल द्वारा श्री राम बिलास मालवीय आत्मज श्री एस.एल. मालवीय के नाम हस्तान्तरण आदेश क्र. 9325-31 दिनांक 22/12/1989 को हस्तान्तरित किया गया है जिसका विक्रय विलेख दिनांक 28/01/1990 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री राम बिलास मालवीय आत्मज श्री एस.एल. मालवीय की दिनांक 29/04/2021 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती मालवीय पत्नी स्व. श्री राम बिलास मालवीय के नाम नामान्तरण आदेश क्र. 678 दिनांक 06/03/2024 को नामान्तरित किया गया है। केता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती कनिका मलैया (जैन) पत्नी श्री अरविन्द मलैया श्री श्री अरविन्द मलैया आत्मज श्री धनकुमार मलैया के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 20/06/2024 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती कनिका मलैया (जैन) पत्नी श्री अरविन्द मलैया श्री श्री अरविन्द मलैया आत्मज श्री धनकुमार मलैया के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी / या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

2953

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

टीलाखेड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विदिशा में भवन क्रमांक 21 एल. आई.जी. (टाईप-II) मण्डल द्वारा श्रीमती विमला देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 12/07/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ. पत्र, संयुक्त शपथ. पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 25/09/2024 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती शोभा सक्सेना पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

2954

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

कीलनदेव टॉवर, शिवाजी नगर, भोपाल में स्थित फ्लेट क्रमांक-बी /1001 ब्लाक- बी टाईप-डी मण्डल द्वारा (1) श्री गौरव मारवाहा आत्मज स्व. श्री एस. पी. मारवाहा (2) श्री आनन्द कुमार तिवारी आत्मज श्री प्रेमचन्द तिवारी (3) श्रीमती सीमा तिवारी पत्नी श्री आनन्द कुमार तिवारी के नामों पर आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय - विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 28/11/2024 को पंजीकृत है। उक्त सम्पत्ति की लीज समयावधि दिनांक 31/03/2049 तक वैध है। उक्त सम्पत्ति में से श्री गौरव मारवाहा आत्मज स्व. श्री एस. पी. मारवाहा द्वारा उक्त सम्पत्ति का अपना अविभाजीत हिस्सा (1) श्री आनन्द कुमार तिवारी आत्मज श्री प्रेमचन्द तिवारी (2) श्रीमती सीमा तिवारी पत्नी श्री आनन्द कुमार तिवारी के पक्ष में हक त्याग विलेख के माध्यम से त्याग कर दिया है। जिसका हक त्याग विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 13/12/2024 को निष्पादित करा दिया है। हक त्यागकर्ता/ हक त्यागग्रहिता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, हक त्याग विलेख की छायाप्रति, प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति (1) श्री आनन्द कुमार तिवारी आत्मज श्री प्रेमचन्द तिवारी (2) श्रीमती सीमा तिवारी पत्नी श्री आनन्द कुमार तिवारी के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति में से हक त्याग कर हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

2955

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलर जिला भोपाल
सूचना पत्र (वास्ते सीमांकन)

क्र.Q**/2024 भोपाल, दिनांक 16/12/2024**

प्रति,1. श्री रवि वाधवानी पिता श्री श्याम वाधवानी नि. 167 पलसीकर कॉलोनी इंदौर। 2. श्रीमती कविता गोयल पत्नी नीरज गोयल नि. भोपाल। 3. श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी ए.के. गुप्ता नि. भोपाल। 4.श्रीमती प्रतीक्षा श्रीवास्तव पत्नी मुकेश श्रीवास्तव नि. भोपाल। 5. श्री राजेन्द्र कुमार पिता राधेश्याम नि. रतनपुर सड़क भोपाल। 6. ग्राम कोटवार। 7. अन्य सभी पड़ोसी भूमिस्वामीएँ। 8. श्रीमती ऊषा सांकला पत्नी श्री एस.के. सांकला नि. भोपाल। **विषय** :- सीमांकन किये जाने बावत् सूचना पत्र ! **संदर्भ** :- न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र. अ-12/2024-25 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम रतनपुर सड़क प.ह.नं. 05 रा.नि.मं. वृत्त 02 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक 727 रकबा 0.0600 हे. हेक्टेयर कुल रकबा 0.0600 हेक्टेयर हो कि आवेदक/ आवेदिका श्रीमती ऊषा सांकला पिता/पति श्री एस. के. सांकला निवासी भोपाल। के नाम से है, का सीमांकन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल द्वारा दिनांक 23/12/2024 को समय 12.00 बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग बौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

राजस्व निरीक्षक तहसील-कोलर जिला भोपाल म.प्र.

2956

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, 76 अरेरा हिल्स भोपाल
(दूरभाष एवं फैक्स 0755-2553722)

सूचना-पत्र क्रमांक. 5280
दिनांक-28/08/2024
अपील क्रमांक-एफए/24/670

श्रीमती सतिन्दर कौर मल्होत्रा . **अपीलार्थी**
विरूद्ध जनतंत्र गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. व अन्य .. **प्रतिअपीलार्थी**

प्रति, 1. जनतंत्र गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भोपाल,विजय प्रकाश वाजपेयी, मकान न. 360, हजरत निजामुददीन कॉलोनी, सेक्टर बी, इंद्रपुरी, एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.) 2. श्री आर. के. वाजपेयी भूतपूर्व अध्यक्ष, जनतंत्र गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या भोपाल मकान न. 360, हजरत निजामुददीन कॉलोनी सेक्टर बी. इंद्रपुरी, एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.) उपरोक्त अपीलार्थी श्रीमति सतिन्दर कौर मल्होत्रा ने जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल क्र.1 के प्रकरण क्रमांक 66 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 14/02/2024 के विरूद्ध इस आयोग के समक्ष एक अपील धारा 41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रस्तुत की है ! अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/11/2024 को 10.30 बजे इस आयोग के समक्ष उपस्थित रहे । आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप नियत दिनांक को उपस्थित नही रहते है तो प्रकरण में सुनवाई / एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। यह प्रकरण ग्राहयता पर सुनवाई/स्थान पर/आवेदन/स्थान की पुष्टीकरण/अंतिम तर्क/सुनवाई के लिये नियत है।

राजीव शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी
म.प्र. राज्य, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,भोपाल

2950

जाहिर सूचना पत्र बावत

मेरे पक्षकार ने श्री संतराम सरोजिया पुत्र श्री भगवानदास निवासी हनुमान गढ़ी, दतिया तहसील व जिला दतिया ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर मुझे निम्न दर्शित भूमि के क्रय करने के पूर्व के जाहिर सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु अधिकृत किया है ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, संतराम सरोनिया पुत्र श्री भगवानदास निवासी हनुमान गढ़ी, दतिया तहसील व जिला दतिया ने कृषि भूमि खसरा क्रमांक 144/2/1/1/2/4, 144/2/1/1/2/2,144/2/1/1/2/1, 144/2/1/1/2/3 कुल रकवा 2.833 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम खरवई राजस्व निरीक्षक मंडल रायसेन प.ह.क्र. 38 तहसील व जिला रायसेन का क्रय करने के इक्षुक है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति, रिश्तेदार, बैंक, संस्था, इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराये निर्धारित समय अवधि पश्चात कोई आपत्ति न होना मानकर मेरे पक्षकार के पक्ष में उक्त भूमि स्वामी से भूमि हस्तांतरण संबंधी संव्यवहार किया जावेगा एवं रजिस्ट्री उपरान्त कोई दावा, आपत्ति स्वीकार / मान्य नहीं होगी अतः तदनुसार सूचित हो। अतः महोदय उपरोक्त अनुसार जाहिर सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

धर्मेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन
पता:- साँची रोड, तहसील ऑफिस के सामने तहसील व जिला रायसेन
मो. 9425036854,8109858377

AG

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, रूसल्ली, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक एस. एल.-40 मण्डल द्वारा श्रीमती साजिदा बी पत्नी श्री हनीफ खान के नाम से हस्तांतरित है ।उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 30/09/2022 को पंजीकृत है ।श्रीमती साजिदा बी पत्नी श्री हनीफ खान द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती आशी खान पत्नी श्री मोहम्मद साजिद को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 04/12/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती आशी खान पत्नी श्री मोहम्मद साजिद के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

2951

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक- 417/बी मण्डल द्वारा श्रीमती कमला बाई अहिरवार पत्नी स्व. श्री लीला प्रसाद अहिरवार के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 23/01/1991 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 20/05/2022 को पंजीकृत है। श्रीमती कमला बाई अहिरवार पत्नी स्व. श्री लीला प्रसाद अहिरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती शनव्वर बानो पत्नी श्री मुस्ताक खान को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 01/02/2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती शनव्वर बानो पत्नी श्री मुस्ताक खान के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही. की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

2952